RAJYA SABHA

Wednesday, The5th March, 2003/14 *Phalguna,* 1924 *{Saka)*

The House met at eleven of the clock, Mr. Chairman in the Chair.

ORAL ANSWERSTO QUESTIONS

Visa-rackets

*201. SHRISURENDRA LATH:
PROF. M. SANKARALINGAM:†

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the increasing visa-rackets in the country;

(b) if so, the places where such visa-rackets are taking place; and

(c) the action taken to curb them?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI HARIN PATHAK): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) As per available information, the incidents of forgery in visas in the country has shown a decreasing trend in the years 1999 and 2000 but has shown a marginal increase in the year 2001.

(b) Most of the visa rackets take place at Delhi, Mumbai, Chennai, Kolkata and Hyderabad.

(c)The State Governments and other agencies concerned take regular action to detect such cases and take action against the persons involved. Immigration officers at international airports/check posts are also being provided intensive training and latest equipment and technology to assist

† The question was actually asked on the floor of the House by Prof. M. Sankaralingam.

them in detecting fraud in travel documents including forged visas in order to curb such visa rackets.

श्री बालकवि बैरागी : माननीय सभापति महोदय, यह समाचार है कि लता मंगेशकर जी ने अपनी सदस्यता से रिजाइन कर दिया है। क्या वस्तुस्थिति है, सदन जानना चाहता है?

श्री सभापति : यह आपको किसने जानकारी दी?

श्री बालकवि बैरागी : सर, लॉबी में चर्चा है।

श्री सभापति : लॉबी की चर्चा यहां पर सदन में न लाएं।

SHRISANTOSH BAGRODIA: Sir, on the demise of your sister, I offer my condolences.

MR. CHAIRMAN: Thank you. Prof. M. Sankaralingam.

PROF. M. SANKARALINGAM: Mr. Chairman, Sir, according to the reply of the hon. Minister, the number of visa-rackets is decreasing, but recent reports indicate that it is increasing. Recently, the Delhi Police has arrested five persons who had sent about 60 persons to the U.S. on fake visas. It seems that they charge Rs. 15 lakh from each person. It is also revealed, on an enquiry, that these persons have taken Rs. 1.5 crores from six persons in Punjab for fake visas. It shows that the present mechanism to check these illegal activities is not sufficient. Hence, the Government should evolve an effective mechanism to stop this menace.

श्री हरिन पाठक : सभापति जी, यह बात सही है कि वर्ष 1999 में यह वीजा से संबंधित धोखा-धड़ी के मामले 284 थे, जो वर्ष 2000 में घटकर 196 हुए। But, I must admit that in 2001, it has increased up to 254. अब जो धोखा-धड़ी के मामले हमारे ध्यान में आते हैं उसके लिए एक प्रक्रिया है। धोखा-धड़ी के मामले विशेषकर जो मेट्रोसिटीज हैं, जैसे मुम्बई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, जहां पर विदेशी दूतावास हैं, वहां पर यह धोखा-धड़ी के मामले ज्यादा आते हैं, जिनमें फेक वीजा और ऐसे दूसरे वीजा संबंधी धोखा-धड़ी के मामले हैं, जो कानून के अंतर्गत क्राइम बनते हैं और जैसे ही यह क्राइम बन जाते हैं, गुनाह बन जाते हैं तो राज्य सरकारों का दायित्व बनता है कि वे उन क्राइम को डिटेक्ट करें और डिटेक्ट करके उन्हें प्रोसीक्यूट करें। हमारी तरफ से केन्द्र सरकार की तरफ से जो कदम उठाने हैं, उनमें यह जो चेकपोस्ट हैं और जो हमारे एअरपोर्ट हैं, उन एअरपोर्टस पर हमारे इमीग्रेशन अधिकारी हैं, उनको प्रशिक्षित करते हैं, जो विदेश के दूतावास हैं उनके यहां जो वीजा के ठप्पे लगते हैं वे किस प्रकार के ठप्पे होते हैं उनका भी हम उन्हें ज्ञान देते हैं। किस प्रकार के वीजा होते हैं उसके बारे में उन्हें बताते हैं और उनको आधुनिक साधन भी हम मुहैया कराते हैं।

श्री सभापति : आप यह बताइए कि चेकपोस्ट से आपके पास सूचना आती है या नहीं आती। किस किसने वीजा का उल्लंघन किया है?

श्री हरिन पाठक : सन, जो इन्फोरमेशन हमारे पास आती है।

श्री सभापति : आप चेकपोस्ट का बता दीजिए।

श्री हरिन पाठक : सर, चेकपोस्ट से हमारे पास जो इंफोरमेंशन आती है वह हमारे फारेन ब्यूरों जो हैं आई.बी. के हैं जो हमारे पांच मुख्य शहर हैं....

श्री सभापति : उसको आप छोड़िए । चेकपोस्ट से आपके पास रेगुलरली इंफोरमेंशन आती है क्या?

श्री हरिन पाठक : नहीं आती, सर। सिर्फ दो चेकपोस्ट से हमारे पास इंफोरमेशन आती है, बाकी से नहीं आती ।

श्री सभापति : आप स्टेट गवर्नमेंट की इंफोरमेशन पर डिपेंड करते हैं?

श्री हरिन पाठक : जी, सर । हम डिपेंड करते हैं।

श्री सभापति : चेकपोस्ट के बारे में आपको क्या कहना है?

श्री हरिन पाठक : सर, चेकपोस्ट पर से भी इंफोरेमेंशन नहीं मिलती सिर्फ दो चेकपोस्ट पर से आती है।

श्री सभापति : आप उसको मंगवाते हैं?

श्री हरिन पाठक : जी, हम उसको मंगवाते हैं। चेकपोस्ट से जैसे ही हमारे पास इंफोरमेशन आती है हम सदन के सामने दे देंगे।

श्री सभापति : नहीं, देने का सवाल नहीं है। उनके खिलाफ एक्शन लेने का सवाल हैं।

श्री हरिन पाठक : सर, एक्शन तो राज्य सरकार लेती है?

श्री सभापति : राज्य सरकार चेकपोस्ट का एक्शान कैसे लेती हैं?

श्री हरिन पाठक : सर, जिस राज्य में चेकपोस्ट हैं, उस चेकपोस्ट पर पकड़े गए लोगों के खिलाफ राज्य सरकार एक्शन लेती हैं। जैसे पंजाब में जो चेकपोस्ट हैं या वेस्ट बंगाल में चेकपोस्ट है तो वहां जो लोग पकड़े जाते हैं उसके अनुसार पंजाब सरकार और वेस्ट बगांल सरकार कार्रवाई करती हैं ।

PROF. M. SANKARALINGAM: Sir, my second supplementary is, whether the Government is aware of any case of fake passports detected in foreign countries and whether the person involved in the case was deported to India. If so, what is the number of such cases from U.S.A. and other countries?

श्री हरिन पाठक : सर, फॉरेन कण्ट्रीज से जो आते हैं उसके दो भाग हैं। एक तो फॉरेन कंट्रीज से जो हमारे देश में लोग आते हैं आगर वे वेलिड पासपोर्ट पर आते हैं ओवरस्टे करके रहते हैं तो उनको फॉर्नर एक्ट, 1986 की सेक्सन 3(2) (सी) के अंतर्गत डिटेक्ट करके राज्य सरकारें उन्हें डिपोर्ट करती हैं।

और जिनके फॉरिनर्स यहां हमारे देश में आते हैं वे देश है – नेपाल, बांगलादेश, श्रीलंका, वहां चूंकि अम्बेसी नहीं हैं तथा हमारे देश में सभी देशो की अम्बेसी हैं। उन देशो में अम्बेसी नहीं होने के कारण वे ट्रांजिट वीजा लेकर हमारे देश में आते हैं और हमारे देश में आकर फिर जो टाउट, दलाल वगैरह होते है वे इनके पंजे में फंस जाते हैं और फिर जब वह बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो उनको पकड़ लेते हैं।

श्री सुरेन्द्र लाठ : सभापति महोदय, क्या यह सच है कि दिल्ली सहित कई बड़े शहरों में कतिपय एजेंसीज वीजा रैकेट चला रही हैं? क्या सरकार ने इन एजेंसीज के पूर्व कार्यकलापों के बारे में जांच कराई हैं? यदि कोई ऐसी एजेंसी किसी प्रतिबंधित संगठन से सम्बद्ध पाई गई हैं तो ऐसी एजेंसी के विरूद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव हैं? और, क्या सी.बी.आई. के माध्यम से ऐसी किसी एजेंसी के विरूद्ध जांच चलाई जा रही है?

श्री हरिन पाठक : सर, बहुत सारी एजेंसीज हैं जिनमें ट्रेवल एजेंसी इंवोल्ब्ड हैं जिस पर हम निगरानी रखें हुए हैं। श्रीमन्, जैसा मैंने आपको पहले कहा कि निगरानी रखना और उस पर कार्रवाई करना वह राज्य सरकारों के नियम के अन्तर्गत, कानून के अन्तर्गत आता है। जब तक सी.बी.आई. को ये केस रेफर नहीं होते हैं तो सी.बी.आई. काम नहीं कर सकती । फिर भी तीन केसेज ऐसे हैं जो मैं माननीय सदस्य के प्रश्न के उत्तर में कहना चाहूंगा । जो केस सी.बी.आई. के ध्यान में लाया गया है उसमें 21-1-99 को केनेडा अम्बेसी में एक रेकेट चला था जिसमें एक पूर्व कर्मचारी लिप्त था । जब यह सूचना हमको मिली तो सी.बी.आई. को यह काम सौंपा गया तो हमने उन लोगों को गिरफ्तार किया। एक और केस था.... (**व्यवधान**)...

श्री सभापति : केस मत बताइए ।

श्री हरिन पाठक : उन्होंने कहा है कि सी.बी.आई. के द्वारा दो केसेज हुए हैं।

श्री आर.पी. गोयनका : सभापति महोदय, मंत्री जी ने जवाब में 5 शहरों का नाम बताया है – दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई, कोलकाता और हैदराबाद। मेरी समझ में ऐसा आता है कि अमृतसर और कोचीन इन दो जगहों में बहुत बड़े रूप में गोलमाल होता है। अगर इनका नाम भी एड कर दिया जाए तो अच्छा रहेगा?

श्री हरिन पाठक : ठीक है।

SHRI S. VIDUTHALAIVIRUMBI: Some people of India went abroad using fake passport, and fake visa is the question raised by my colleague. Some people were arrested in foreign countries and they are being deported, what we want to know is whether there are Indian citizens sent by foreign countries back to India on charges of obtaining fake visa. How many people have been arrested in and deported from foreign countries?

श्री हरिन पाठक : सर, हमारे देश के जो नागरिक विदेशों में आते हैं और अगर उस देश की सरकार को यह पता चलता है कि वे फेक वीजा पा आए हुए हैं तो उस देश की सरकार उन पर कानूनी कार्रवाई करके हमारे दूतावास को सारी इंफार्मेशन देती है। जब कानूनी कार्रवाई वहां सम्भावित देश में पूरी हो जाती है तो फिर हमारा दूतावास उस पर काम करके हमारे देश में उसे वापिस भेज देते हैं।

MR. CHAIRMAN: Now, Question No. 202.

Installation of computers in Police Stations in Delhi

*202. SHRJMATI N. P. DURGA:†
SHRI RAVULA CHANDRA SEKAR REDDY:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Delhi Police propose to install computers at certain police stations to ensure early availability of data which can help in expeditious investigation of cases;

(b) if so, the number of police stations where computers have been or are proposed to be installed; and

(c) by when computers will be in place at all the police stations?

† The question was actually asked on the floor of the House by Shrimatj N.P. Durga.